THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) According to available information, during 1997-98 the employers belonging to the following establishments have been convicted under section 406/409 of the I.P.C.:—

1. M/s. Rajaram Bandekar, Goa
2. M/s. A.V. Salmalkar, Goa
3. M/s. Rajaram Bandekar & Sons, Goa
4. M/s. Bandekar Spec Valve Corpn, Goa
5. M/s. Rajaram Bandekar & Co., Goa
6. M/s. Rashmi Construction., Goa

Unemployed persons in the North East Region

3588. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of unemployed persons in the North-East Region, State-wise;

(b) what has been the growth rate of employment in the North-East Region as compared to the country as a whole; and

(c) what are the plans to guarantee more employment opportunities for the youth of North-East Region?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) Rate of growth of employment and unemployment rates as per Ususal Principal Status in the North East Region, State-wise is enclosed as the statement *(See below)*.

(c) The rate of growth of employment in a particular region depends on the pace and pattern of economic growth which is primarily a responsibility of State Govt. The Central Government is, however, implementing a number of self employment and wage employment programmes throughout the country including the North East region.

Statement

Rates of Growth of Employment and Unemployment Rate in North Eastern States

States	Rate of Growth of Employment (UPS) (1987-88 to 1993-94)*	Unemployment Rate (%) (UPS)
Arunachal Pradesh	4.84	1.21
Assam	1.00	7.58
Manipur	5.23	2.36
Meghalaya	6.62	0.41
Mizoram	2.65	1.11
Nagaland	31.25	3.09
Tripura	4.72	3.52
ALL INDIA	2.37	2.56

NOTE(*): Growth rate of employment is as implied by employment estimates for the state based on the 43rd and 50th Round of National Sample Survey.

कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी

3589. अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी का तद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ निजी औद्योगिक घराने अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं और वे विभिन्न श्रम संबंधी कानूनों तथा श्रम न्यायालयों के निर्णयों को लागू करने में पूर्णतया विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल श्रेणी के कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के बारे में नवीनतम सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए),

(ख) से (घ) संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सामान्यता सामूहिक सौदेकारिता के आधार पर जबकि असंगठित क्षेत्र में मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित/संशोधित की जाती है।

अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा भी अपने संबंधित क्षेत्र में श्रम विधान प्रवर्तित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र श्रम कानूनों के उल्लंघनों से संबंधित प्रवर्तन अभिकरण द्वारा कानून के अनुसार निपटा जाता है। श्रम विधानों के प्रवर्तन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है जिससे कि कमियों की पहचान की जा सके और उपचारात्मक उपाय किये जा सकें।

विवरण

अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में अकुशल कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1.4.98 को संकलित)

क्रम सं॰	राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नाम	मजदूरी की न्यूनतम दर और पिछले संशोधन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1. राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	16.00 रु॰* से 42.40 रु॰ प्रति दिन (9.8.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु॰ से 23.00 रु॰ प्रति दिन (1.1.94)	रोजगार और क्षेत्रों के अनुसार दरें भिन्न हैं।
3.	असम	32.80 रु॰* से 49.10 रु॰ प्रति दिन (1.4.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं।
4.	बिहार	27.30 रु॰* से 39.70 रु॰ प्रति दिन (21.12.95)	—वही—
5.	गोवा	21.00 रु॰ से 93.00 रु॰ प्रति दिन (1.4.97)	—वही—
6.	गुजरात	34.00 रु॰* से 77.80 रु॰ प्रति दिन (25.4.97)	—वही— (जोन के अनुसार)
7.	हरियाणा	63.12* रु॰ से 64.12 रु॰ प्रति दिन (1.1.95)	कृषि के अलावा सभी रोजगारों के लिए एकल दर
8.	हिमाचल प्रदेश	26.00 रु॰ से 45.75 रु॰ प्रति दिन (1.3.96)	चाय बागान के लिए अन्य सभी रोजगारों के लिए
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00 रु॰ प्रति दिन (13.3.95)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर
10.	कर्नाटक	26.00 रु॰* से 56.50 रु॰ प्रति दिन (17.12.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
11.	केरल	19.50 रु॰* से 114.16 रु॰ प्रति दिन (25.10.96)	—वही—
12.	मध्य प्रदेश	26.46 रु॰* से 55.19 रु॰ प्रति दिन (6.2.97)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं।
13.	महाराष्ट्र	9.25 रु॰* से 85.95 रु॰ प्रति दिन (6.12.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
14.	मणिपुर	44.65 रु॰* प्रति दिन (मैदानी क्षेत्रों के लिए, (8.7.95) 49.50 रु॰ प्रति दिन (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए)	सभी रोजगारों के लिए दोहरी दरें
15.	मेघालय	35.00 रु॰ प्रति दिन (1.1.95)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
16.	मिजोरम	45.00 रु॰ प्रति दिन (10.7.97)	—वही—
17.	नागालैंड	25.00 रु॰ प्रति दिन (6.7.92)	—वही—
18.	उड़ीसा	30.00 रु॰ प्रति दिन* (15.8.96)	—वही—

19.	पंजाब	58.07 रु० से 60.62 रु०* प्रति दिन (1.7.95)	—वही— (कृषि को छोड़कर)
20.	राजस्थान	44.00 रु० प्रति दिन (19.11.97)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
21.	सिक्किम	—शून्य—	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू और प्रवर्तित किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	22.40 रु० से 79.00 रु० प्रति दिन (1.4.97)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
23.	त्रिपुरा	17.70 रु० से 36.00* रु० प्रति दिन (29.8.96)	—वही—
24.	उत्तर प्रदेश	42.02 रु० से 64.21* रु० प्रति दिन (31.10.96)	—वही—
25.	पश्चिम बंगाल	25.47 रु० से 72.00* रु० प्रति दिन (25.7.96)	—वही—
26.	अण्डमान और निकोबार	37.09 रु० से 40.00 रु० प्रति दिन (15.8.94)	—वही—
27.	चण्डीगढ़	58.06 रु० से 60.15* रु० प्रति दिन (4.11.95)	सभी रोजगारों के लिए एक दर (कृषि को छोड़कर)
28.	दादर और नगर हवेली	35.00 रु० से 40.00 रु० प्रति दिन (18.5.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
29.	दमण और दीव	35.00 रु० प्रति दिन (19.5.95)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
30.	दिल्ली	74.50 रु० प्रति दिन (15.2.94)	—वही—
31.	लक्षद्वीप	41.46 रु० प्रति दिन (1.1.96)	—वही—
32.	पांडिचेरी	19.25 रु० से 40.20 रु० प्रति दिन (24.7.95)	कृषि कर्मकारों के लिए दरें
II.*	केन्द्रीय सरकार	39.51 रु० से 71.04* रु० प्रति दिन (12.7.94)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार) (कृषि के अलावा)

टिप्पणी: 1. *न्यूनतम मजदूरी के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

2. कालम (3) के अंतर्गत कोष्ठक में दी गई तिथि अनुसूचित रोजगार में पिछले संशोधन की तिथि है।

Conciliation Reports from Regional Labour Commissioner, Dhanbad

3590. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether a number of conciliation reports received from the Regional Labour Commissioner, Dhanbad are pending in his Ministry;

(b) if so, the details thereof as on October 1, 1997; and

(c) the action taken by the Court for early disposal of these reports/cases?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) 1179 conciliation reports were pending upto October, 1997 and out of these 434 had been disposed of upto October, 1997.

As the Central Government Industrail Tribunal-cum-Labour Courts are a quasi-judicial authority, the Government does not interfere with their working However, communications are sent to the Presiding Officers impressing upon them the need to reduce pendency in their Courts.